न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 295/2021 — दर्ज दिनांक 29.10.2021

जीएसएमएस न. 2021/815 — निर्णय दिनांक 20.04.2023

जुगलाल पुत्र भैरू जाति जाट निवासी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

प्रार्थीगण

बनाम

1. अमीलाल पुत्र अर्जुनराम
2. जयसिंह पुत्र अर्जुनराम
3. दयानन्द पुत्र शिवनारायण
4. देवकरण पुत्र शिवनारायण
5. पालाराम पुत्र रामलाल
6. बजरंग पुत्र हरचन्द
7. बंटी पुत्री पवनकुमार
8. बनारसी पुत्री जगमाल
9. मोहरसिंह पुत्र शिवनारायण
10. रणजीत पुत्र अर्जुनराम
11. राजेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार
12. रामचन्द्र पुत्र भूदा
13. रामदेवा पुत्र जगमाल
14. राहुल पुत्र पवन कुमार
15. रोहन पुत्र सहीराम
16. विकास पुत्री चूनीलाल
17. विकास कुमार पुत्र सुरेश
18. श्योलाल पुत्र जगमाल
19. शीशराम पुत्र अर्जुनराम
20. सुमित्रा पुत्री जगमाल
21. सुमित्रा देवी पत्नी पवन कुमार
22. सुशिला देवी पत्नी सहीराम
23. सावित्री देवी पत्नी चुनीलाल
24. हणमान पुत्र जगमाल(फौत)
    - 24/1. नरेन्द्र पुत्र हणमान
    - 24/2. भागोती पुत्री हणमान
    - 24/3 संतोष पुत्री हणमान

समस्त जाति जाट निवासी डुडीनगर तन भोड़की तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

25. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामण बैंक शाखा बडागांव जरिये शाखा प्रबन्धक।
26. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामण बैंक शाखा बजावा जरिये शाखा प्रबन्धक।
27. झुन्झुनूं केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गुढ़ागौड़जी जरिये शाखा प्रबन्धक।
28. पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक
29. पंजाब नेशनल बैंक शाखा उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबन्धक।
30. तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी।

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) रा0 का0 अधिनियम

निर्णय दिनांक 20.04.2023

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम मूण्डों की ढाणी पटवार हल्का बजावा तहसील उदयपुरवाटी के भूमि खसरा न. 1248 रकबा 0.45 है0, खसरा न. 1458/1260 रकबा 0.26 है0, खसरा न. 1555/1252 रकबा 0.14 है0, खसरा न. 1558/1257 रकबा 0.15 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.00 है0 भूमि अवस्थित है जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि में आवागमन के लिए एक पगडण्डी बालाजी से छउ जाने वाली सड़क से फटकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 22 की भूमि खसरा न. 1260 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे होती हुई प्रार्थी की काश्त की भूमि तक जाती है जो कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए,बी, सी, डी बिन्दु दर्शाई गई है जो बी व डी बिन्दु पर प्रार्थी के खेत में प्रवेश करती है। इस प्रकार प्रार्थी की भूमि खसरा न. 1248, 1458/1260, 1555/1252 में आने जाने वाली कदीमी पगडण्डी जो पिछले कई वर्षों से चालू थी लेनिक उक्त पगडण्डी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण 1 लगायत 24 उक्त पगडण्डी में बार–बार व्यवधान कारित करते हैं वैसे भी मौजूदा समय में सभी प्रकार के कृषि कार्य कृषि उपज को बाजार में बेचने तथा कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर, जीप, गाडी आदि की आवश्यता होती है उक्त पगडण्डी से प्रार्थी को अपनी भूमि में काश्त के लिए ट्रैक्टर आदि ले जाना सम्भव नहीं है इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थीगण 1 लगायत 24 के खेत में से आने जाने क लिए उक्त पगडण्डी को 4 मीटर चौड़ा करने की आवश्यकता होती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 24 की भूमि खसरा न. 1260 में से 4 मीटर चौड़ा रास्ता संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार दिलवाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1,3, 4, 9, 10, 16, 19, 23 का जवाब का अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 5 लगायत 8, 11 लगायत 15, 18, 20 लगायत 22, 24 लगायत 29 व 31 बावजूद तामील हाजिर नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 30 का नाम जफ किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार गुढ़ागौड़जी से मौका जाचं रिर्पोट दिनांक 01.04.2022 को प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 24 की खातेदारी भूमि खसरा न. 1260 में से 4 मीटर चौड़ा रास्तास संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार दिलाए जाने के आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट मौके के अनुंसार ही है अतः ऐतराज प्रार्थना पत्र मौका जांच रिपोर्ट खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। वकील अप्रार्थीगण बहस हेतु उपस्थित नहीं।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकील की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम मूण्डों की ढाणी पटवार हल्का बजावा के खसरा न. 1248,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

1458/1260, 1555/1252, 1558/1257 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 24 की खातेदारी भूमि खसरा न. 1260 में से 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करवाना चाहा । तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक व नजदीकी रास्ता नहीं है। रा.का. अधिनियम 251क सम्मरी ट्रायल है। तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट दर्शाए गए रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है अतः प्रार्थी का ऐतराज मौका जांच रिपोर्ट खारिज किया जाता है। उक्त विवेचना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क रा.का. अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मूण्डों की ढाणी पटवार हल्का बजावा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1248, 1458/1260, 1555/1252, 1558/1257 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 24 की खातेदारी भूमि खसरा न. 1260 में से तहसीलदार गुढ़ागौड़जी से प्राप्त मौका जॉच रिर्पोट में दर्शाया गया रास्ता को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थीगण रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि या डी0 एल0 सी0 दर की दुगनी राशि को तहसीलदार गुढ़ागौड़जी के पास जमा करवाऐ एवं तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशी को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है को नियमानुसार भुगतान करे/ जमीन के बदले जमीन दे तथा उक्त 4 मीटर चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। फर्द मौका रिर्पोट दिनांक 01.04.2022 मय नक्शा इस आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगी।

20/4/23
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 20.04.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/4/23
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

नोट:- निर्णय दिनांक 20/4/2023 में अप्रार्थीगण का पता डूंगर मोड्डी की बजाय बजावा तथा निर्णय के पृष्ठ संख्या दो पर 1 लगायत 22 के बजाय 1 लगायत 24 दुरुस्त किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:09 IST
Reason: SelfAttested